कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 05.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. निबरे पुत्र बंशी सोनकर नि0 मरीकबन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–154/21, 02. अभिनाश पुत्र शिवनाथ निवासी बनकनिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–155/21, 03. सुग्रीव पुत्र बडकऊ निवासी सीहागांव मदीक थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–156/21, 04. राजू पुत्र रामउगर निवासी छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–157/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. नोमान पुत्र आरिफ सेख निवासी विशुनापुर बेलभरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–180/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबंगज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राधिका पत्नी श्यामनरायन नि0 सुखवापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–185/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. हवलदार सिंह पुत्र बलराज सिंह नि0 खालेगांव थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–264/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. कमला देवी पत्नी सुखपाल सोनकर नि0 राधेपुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–502/21, 02. सुन्दरपता पत्नी सर्वदीन मंशापुरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–503/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.06.2021

छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने मु0अ0सं0–112/21, धारा–354क,323,504,506,452 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आशीष उर्फ प्रधान शुक्ला को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. आशीष उर्फ प्रधान शुक्ला पुत्र परसुराम नि0 भरतपुरवा मौजा हरखापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–112/21, धारा–354क,323,504,506,452 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 प्रमोद कुमार तोमर मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.07.2021

‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान में थाना को0 नगर में अवैध तमंचे सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने ऑपरेशन तमंचा’ अभियान के अन्तर्गत अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय–विक्रय करने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना कटराबाजार पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रामचरन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियक्त–

01. रामचरन पुत्र कालीदीन नि0 बसभरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः–

01. मु0अ0सं0–219/21, धारा–3/25 आर्म्स थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगीः–

01. 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीमः–

01. उ0नि0 राजकुमार मय टीम।

<u>सराहनीय प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 05.07.2021</u>

<u>अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश 14 अदद मोटरसाईकिल व 01 अदद चेचिस सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद अवैध तमंचा कारतूस भी बरामदः–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए वाहन चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गए इन्ही निर्देशों के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस को वाहन चोर गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की गयी मोटरसाईकिलों को बरामद करने में सफलता मिली है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना होकर गुरूनानक चौक पर चेकिग कर रहे थे कि मुखबिर खास ने सूचना दी कि कुष्ट आश्रम के पास पन्ना लाल होटल तिराहे पर कुछ व्यक्ति चोरी की मोटरसाईकिल के साथ खडे है। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर उक्त स्थान की घेराबन्दी कर कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद की गयी। **कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने पाण्डेय बगिया उपरेहितन पुरवा की झाड़ियो से विभिन्न स्थानों से चुरायी गयी 12 अदद मोटरसाईकिल व 01 अदद मोटरसाईकिल की चेचिस भी बरामद किया गया। अभियुक्तों द्वारा इन मोटरसाईकिलों को विभिन्न जनपदों के अलग–अलग स्थानों से चुराकर पकड़े जाने से बचने के लिए उनका नम्बर प्लेट बदल कर और उनके पुर्जे निकाल कर आर्थिक लाभ के लिए बेचना बताया है।** जामातलाशी के दौरान अभियुक्त आरिफ व अरसलान के पास से 01–01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01–01 अदद जिन्दा कारतूस भी बरामद हुआ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. अमरनाथ कोरी पुत्र रामजीवन कोरी नि0 सिसौरा अन्टूपुर विशुनपुर बैरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. आरिफ पुत्र साबिर अली उर्फ मो0 इजहार नि0 जिगरगंज तोपखाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. रमेश गोस्वामी पुत्र देवी प्रसाद गोस्वामी नि0 धनौली थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. अरसलान खान उर्फ शालू पुत्र अजमत हुसैन नि0 396 न्यू कालोनी मेवातियान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोगः–</u>

01. मु0अ0सं0–505/21, धारा 411,419,420,467,468,471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0–506/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–507/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगीः–

01. 14 अदद मोटरसाईकिल।
02. एक मोटरसाईकिल चेचिस।
03. 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीमः–

उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम।

<u>सराहनीय प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 05.07.2021</u>

<u>साढे तीन करोड़ के पी0एफ0 घोटाले की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तारः–</u>

माह दिसम्बर 2020 में नगरपालिका परिषद अन्तर्गत सफाई कर्मियों के पी0एफ0/लोन कटौती में कूट रचना करके लिपिक विपिन श्रीवास्तव द्वारा मिलीभगत कर करीब साढे तीन करोड का पी0एफ0 घोटाला करने का प्रकरण प्रकाश में आया था। जिसमें ई0ओ0 नगर पालिका ने लिपिक विपिन श्रीवास्तव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। गहनता से विवेचना करने पर उक्त प्रकरण में लिपिक विपिन श्रीवास्तव की पत्नी हेमा श्रीवास्तव व अन्य लोग भी मिलीभगत में शामिल होने पर प्रकाश में आये थे। प्रकरण की गंम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अभियुक्ता हेमा श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक को0 नगर को कड़े निर्देश दिए थे।

पुलिस अधीक्षक के दिये गए इन्ही निर्देशो के अनुक्रम में को0 नगर के व0उ0नि0 प्रबोध कुमार ने मोहल्ला महाराजगंज से उक्त वांछित अभियुक्ता हेमा श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमें के मुख्य अभियुक्त विपिन श्रीवास्तव ने **<u>वर्ष 2016 से 2020 के मध्य करीब 85,00000/– (पचासी लाख रू0) अपनी पत्नी हेमा श्रीवास्तव के खाते में साठगाठ कर जमा कराये थे। जिस पैसे को निकालकर अभियुक्ता ने लखनऊ में प्लाट व गोण्डा में एक मकान खरीद लिया था बाद में खरीदे हुए मकान को बेचकर करीब 14 लाख रू0 नगर पालिका के खाते में वापिस जमा कराये थे।</u>**

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता–</u>

01. हेमा श्रीवास्तव पत्नी विपिन श्रीवास्तव नि0 महाराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–955/20, धारा 419,420,467,468,471,409,406,120बी भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

व0उ0नि0 प्रबोध कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.07.2021

दहशत फैलाने के लिए अवैध असलहा का प्रदर्शन करने वाला असलहा सहित 24 घण्टे में गिरफ्तार–

कल दिनांक 04.07.2021 को सोशल मीडिया पर थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा अवैध असलहे का प्रदर्शन करने का फोटो वायरल हुआ था। जिसमें वह व्यक्ति लोगो के बीच में बैठकर रौब जमाने के लिए असलहा का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फोटो के वायरल होने पर मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने तत्काल थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज को कार्यवाही कर अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने व उस अवैध असलहा को बरामद करने के लिये कड़े निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने अवैध असलहा का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्त संतोष कुमार वर्मा को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम जगतपुर रोड स्थित वोडाफोन टॉवर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने लोगो के बीच में बैठकर रौब जमाने के उद्देश्य से अवैध असलहे का प्रर्दशन किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. संतोष कुमार वर्मा पुत्र पवन कुमार वर्मा नि0 मीरपुर ख्याला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–105/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 दिलीप कुमार उपाध्याय मय टीम।

<u>सराहनीय प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 05.07.2021</u>

<u>फर्जी अभिलेखो से शिक्षक की नौकरी पाने वाले 02 जालसाज गिरफ्तारः–</u>

दिनांक 03.04.2021 को थाना उमरीबेगमगंज के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार मौर्या ने कूटरचित/फर्जी अभिलेखो के माध्यम से शिक्षक बनकर नौकरी प्राप्त करने वाले 02 जालसाजो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज को तत्काल इन जालसाज अपराधियो की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये थे। परन्तु अभियुक्त लगातार फरार चल रहे थे। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज के नेतृत्व में टीमें बनाकर लगायी गयी थी। सर्विलांस टीम को भी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था।

पुलिस अधीक्षक के दिये गए निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 05.07.2021 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम ने दोनो जालसाज अभियुक्तों जिनमें अभियुक्त श्रीधर को खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परसपुर के पास से व अभियुक्त श्रीराम यादव को बेलसर टैक्सी स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उक्त दोनो अभियुक्तो ने कूटरचित व फर्जी दस्तावेज के माध्यम से शिक्षक की नौकरी प्राप्त की थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. श्रीधर पुत्र बांकेलाल नि0 धनसिंह पुरवा पो0 बैरिया नजीरप जनपद हरदोई।
02. श्रीराम यादव पुत्र अशर्फी यादव नि0 रानीडीहा थाना गोरखपुर।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–64/21, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज करूणाकर पाण्डेय।